"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–75/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत अंतागढ़, जिला–कांकेर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	मिनी माता वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	महादेव वार्ड
		3	राजीव गांधी वार्ड
		5	बजरंग वार्ड
		15	इंदिरा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	श्याम नगर वार्ड
		6	रानी दुर्गावती वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	डॉ. अंबेडकर वार्ड
		10	गुलाब पुजारी वार्ड
		12	देवनी डोकरी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	वीर नारायण वार्ड
		9	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–75/2014/18 (1) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–75/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–75/2014/18 (1) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Antagarh, distt. Kanker** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	8	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	2	Mahadev Ward
		3	Rajiv Gandhi Ward
		5	Bajrang Ward
		15	Indira Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	Shyam Nagar Ward
		6	Rani Durgawati Ward
5.	Other Backward Class	1	Dr. Ambedkar Ward
		10	Gulab Pujari Ward
		12	Devini Dokri Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Chandra Shekher Ajad Ward
7.	Female	7	Veer Narayan Ward
		9	Maharani Laxmi Bai Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र..एफ 1–75 / 2014 / 18 (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	शंकर नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	7	शिवाजी वार्ड
		8	शहीद भगतसिंह वार्ड
		9	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	लोकमान्य तिलक वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	महात्मा गांधी वार्ड
		6	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		14	महाराणा प्रताप वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
		5	प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी वार्ड
		12	चंदशेखर आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–75 / 2014 / 18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–75 / 2014 / 18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No.. F1-75/2014/18 (2) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat BhanuPratappur, distt. Kanker** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	3	Shankar Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	Nil
3.	Scheduled Tribes	7	Shiva Ji Ward
		8	Shaheed Bhagat Singh Ward
		9	Lal Bahadur Shastri Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Lok Manya Tilak Ward
5.	Other Backward Class	4	Mahatma Gandhi Ward
		6	Pt. Jawaher Lal Nehru Ward
		14	Maharana Pratap Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Sardar ballabh Bhai Patel Ward
7.	Female	1	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
		5	Priy Darshini Indira Gandhi Ward
		12	Chandra Shekar Azad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र.एफ 1–75/2014/18 (3) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगर पंचायत पखांजूर, जिला–कांकेर** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	गैंदसिंह वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	माँ शारदा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	शीतला माता वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		6	भगत सिंह वार्ड
		12	श्याम प्रसाद मुखर्जी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	रविंदनाथ टैगोर वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		10	बजरंग वार्ड
		11	माँ दुर्गा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–75/2014/18 (3) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–75/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F1–75/2014/18 (3) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Pakhanjore, distt. Kanker** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	9	Gend Shing Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	NIl	Nil
3.	Scheduled Tribes	3	Maa Sharda Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	Sheetala Mata Ward
5.	Other Backward Class	5	Chandra Shekhar Ajad Ward
		6	Bhagat Sing Ward
		12	Shyama Prasad Mukharji Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Rabindra Nath Taigore Ward
7.	Female	7	Netaji Subhas Chandra Bos Ward
		10	Bajrang Ward
		11	Maa Durga Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–75/2014/18 (4) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत चारामा, जिला–कांकेर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	शहीद भगतसिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	4	माता शीतला वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	इंदिरा गांधी वार्ड
		11	संभाष चन्द्र बोस वार्ड
		15	गुरूनानक वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	6	रानी दुर्गावती वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		3	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		8	लोकमान्य तिलक वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–75/2014/18 (4) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–75/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-75/2014/18 (4) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Charama, distt. Kanker** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	9	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nil	NIl
3.	Scheduled Tribes	12	Shaheed Bhagat Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	4	Mata Sheetala Ward
5.	Other Backward Class	2	Indira Gandhi Ward
		11	Subhash Chandra Bosh Ward
		15	Guru Nanak Ward
6.	Other Backward Class (Female)	6	Rani Durgawati Ward
7.	Female	1	Pdt. Jawaher Lal Nehru Ward
		3	Chhatrapati Shivaji Ward
		8	Lok Manya Tilak Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र.एफ 1–75/2014/18 (5). छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद् कांकेर, जिला–कांकेर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	3	शिवनगर वार्ड (नया)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	20	जनकपुर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	अलबेलापारा वार्ड
		4	माहुरबंदपारा
		18	बरदेभाठा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	महात्मागांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	संजयनगर वार्ड
		12	मांझापारा वार्ड
		17	कंकालिनपारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	भण्डारीपारा वार्ड
		19	अघन नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	9	श्रीरामनगर वार्ड
		11	महादेव वार्ड
		16	शांतिनगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–75/2014/18 (5).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–75/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No F1-75/2014/18-(5). the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Kanker, distt. Kanker** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules. 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	3	Shiv Nagar Ward (New)
2.	Scheduled Caste (Female)	20	Jankpur Ward
3.	Scheduled Tribes	1	Albela Para Ward
		4	Mahurband Para Ward
		18	Bardebhatha Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	6	Sanjay Nagar Ward
		12	Majha Para Ward
		17	Kankalin Para Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Bhandari Para Ward
		19	Aghan Nagar Ward (New)
7.	Female	9	Shri Ramnagr Ward
		11	Mahadeo Ward
		16	Shanti Nagar Ward (New)

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.